कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, रामपुर।

विज्ञप्ति संख्याः 1032 / व्यवस्थापन / 2020–21 दिनांक : जनवरी 25, 2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–11 / 2020 / 155 ई–2 / तेरह–2020–01 / 2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या – 26444 / दस–लाइसेंस–367 / आबकारी नीति / 2020–21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद रामपुर में वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28.01.2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिये अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 03.02.2020 पूर्वान्ह (11:00 बजे) तक ई–लॉटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष मदिरा / बीयर दुकानों का व्यवस्थापन ई–लॉटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18.02.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लॉटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेबसाईट rampur.nic.in, विभागीय वेबसाईट www.oldupexcise.in तथा ई–लॉटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

25.1.2020
(अवधेश राम)
जिला आबकारी अधिकारी
रामपुर

(आन्जनेय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी
रामपुर

प्रकाशन हेतु नही।

सेवा में,

....

....

कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को कम से कम स्थान (साइज 13 सेमी0 X 13 सेमी0 (लगभग) के बोक्स में) दिनांक 26.01.2020 के अंक में प्रकाशित कर सूचना विभाग द्वारा सत्यापित बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

25.1.2020
(अवधेश राम)
जिला आबकारी अधिकारी
रामपुर